अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, चाण्डिल

धारा– 144 द0प्र0स0 मिस केस न0– 152/2020

सुफल चन्द्र महतो एवं अन्य
बनाम
गांडु महतो एवं अन्य

–: आदेश :–

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3
26.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सुफल चन्द्र महतो एवं अन्य, पिता– स्व0 महेश्वर महतो द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि द्वितीय पक्ष के गांडु महतो एवं अन्य, पिता– स्व0 गिरिधारी महतो, ग्राम– बानसा, पो0– बानसा, थाना– चौका, जिला– सरायकेला–खरसावाँ द्वारा उनकी खरीदी गई भूमि को जबरन दखल किया जा रहा है। अतः विवाद की संभावना को देखते हुए उभय पक्ष को कारण पृछा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। **विवादित भूमि का विवरण** मौजा– बानसा, थाना सं0– 195, खाता सं0– 44, प्लॉट सं0– 1156, रकवा– 6 डी0 में से 3 डी0, जिसकी चौहदी उ0– सड़क, द0– भोला महतो एवं फोते कर्मकार, पू0– सुफल चन्द्र महतो एवं किष्टो महतो, प0– माखल लाल महतो। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विवादित भूमि आवेदक द्वारा कय की गई भूमि है जिससे संबंधित लगान रसीद की छायाप्रति एवं भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित परवाना की छायाप्रति प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के रैयती भूमि है जिसका भोग दखल द्वितीय पक्ष के गांडु महतो एवं अन्य अपने पूर्वजों के समय से ही करते आ रहें है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमीन से संबंधित खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद प्रस्तुत किया। अभिलेख में धारित कागजातों के सांगोपांग अध्ययन एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात यह अनुसंधान का विषय है कि किस परिस्थिति में अंचल अधिकारी, चाण्डिल द्वारा उक्त विवादित रैयती भूमि को बन्दोवस्त किया गया। अतः अंचल अधिकारी, चाण्डिल को निदेश दिया जाता है कि मौजा– बानसा, थाना नं0– 195, खाता सं0– 44, प्लॉट सं0– 1156 कुल रकवा– 6 डी0 रैयती भूमि की जाँच कर जिस पक्ष का दावा सत्य है तो उसको नियमित करते हुए अन्य पक्ष के बन्दोवस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चाण्डिल के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अतः उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं अभिलेख बंद किया जाता है। लेखापित 26/11/20 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल। 26/11/20 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल।	